आदेश पर टिप्पणी तारीख बारे में

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

## रे०मि० (पी०ए०) अपील सं० 16/2021–22

छोटेलाल टुडू.............................................................अपीलकर्त्ता।

बनाम

ललीन टुडू.................................................................उत्तरकारी।

## आदेश

11.01.2022 यह रे०मि० (पी०ए०) अपील अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०–06/2020–21 में पारित आदेश दिनांक–11.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

**अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–**

1. अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र के पुत्र है तथा पूर्व प्रधान के अगला उत्तराधिकारी है। उत्तरकारी पूर्व प्रधान के तृतीय पुत्र के पुत्र है।
2. अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पोता होने के नाते उन्हें संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर दावा बनता है।
3. अपीलकर्त्ता प्रधान पद के लिए योग्य है एवं उन्हें रैयतों की सहमति प्राप्त है।
4. अपीलकर्त्ता शिक्षित, युवा एवं सक्रिया व्यक्ति है, जबकि उत्तरकारी मात्र साक्षर है।
5. अपीलकर्त्ता द्वारा "कुडम नायकी" पद से त्यागपत्र अंचल कार्यालय जामा में दे चुका है जिसका अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है।
6. अपीलकर्त्ता जेष्ठ पुत्र के पुत्र है तथा उत्तरकारी तृतीय पुत्र के पुत्र है। इस आधार पर अपीलकर्त्ता को प्रधानी पद पर उत्तरकारी से दावा अधिक बनता है, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नहीं है।

उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

**उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–**

(1) मौजा के अंतिम प्रधान श्रीजल टुडू थे, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके द्वारा पट्टा (काबुलियत) प्राप्त नहीं किया था।

(2) अपीलकर्त्ता "मौजा के कुडम नायकी" है।

उत्तरकारी नजदीकी एवं योग्य उम्मीदवार है।

(4) उत्तरकारी को आमसभा के द्वारा 16 आना रैयतों को सहमति प्राप्त है।

(5) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को किया गया नियुक्ति सही है।

अतः अपीलकर्त्ता का आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

**अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख तथ्य निम्न प्रकार है :–**

अंचल अधिकारी, जामा का प्रतिवेदन उनके पत्रांक–450/रा0 दिनांक–10.11.2020 एवं पत्रांक–451/रा0 दिनांक–10.11.2020 द्वारा प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान के तृतीय पुत्र के पुत्र है। वह पढ़ा–लिखा युवक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता है। उनका चरित्र अच्छा है एवं उनके विरूद्ध कोई मामला दर्ज नहीं है। वर्तमान में उत्तरकारी को ग्रामीणों के समर्थन से गॉव में पंचायत एवं रीति–रिवाज के साथ पुजा–पाठ करने में सहयोग करते है। उन्हें ग्राम सभा में 16 आना रैयतों का समर्थन प्राप्त है। अपीलकर्त्ता वर्तमान में "कुडम नायकी" के पद पर कार्यरत है। इनके द्वारा अंचल कार्यालय में "कुडम नायकी" पद से त्यागपत्र दिया है, परन्तु ग्राम सभा से इसका अनुमोदन नहीं कराया गया है।

इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

## प्रावधान

### संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 :–

**Sec-6 Landlord to report the death of village headman.** – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम पूरक रूल्स 1950 शिड्यूल V के रूल्स 3 के अनुसार "The office of the headman being hereditary the next heir, who is fitted should be headman."

BBCJ. 1995 (Jhr) में प्रकाशित माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना के C.W.J.C 12793/93 एवं 4724/94 Baisakhi Harizan/Ghanshyam Mandal में पारित आदेश :–

"On the death of pradhan his nearest male heir will be appointed to succeed him"

Santhal Pargana Manual 1911-Part III deals with miscellaneous incidents-on the death of pradhan his nearest male heir will be appointed to succeed him.

Land and Tenancy of Santal Parganas में Babulal Rai vrs Brijmohan Rai and another, S.P.R.M Appeal No. 113 of 1963-64. में पारित आदेश :–

It was decided that preference should be given to the eldest surviving son of the previous pradhan.

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के L.P.A No-135/2003 श्रीमती स्वर्णलता देवी बनाम झारखण्ड सरकार में पारित आदेश :–

In the General rules, the Subdivisional officer may be competent to ascertain the views of the Jamabandi *raiyats* of the village.

## निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा महादेवरायडीह के अंतिम प्रधान, प्रधान टुडू थे। उनके चार पुत्र यथा गोविन्द टुडू, नरेन टुडु, सुकुलाल टुडू एवं श्रीजल टुडू थे। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र के पुत्र है तथा उत्तरकारी पूर्व प्रधान के तृतीय पुत्र के पुत्र है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर स्पष्ट है कि मौजा के पूर्व प्रधान, प्रधान टुडू के मृत्यु के पश्चात् उनके चारो पुत्रों में से कोई भी प्रधान पद पर नियुक्त नहीं हुए है। उत्तरकारी का कहना है कि पूर्व प्रधान के कनिष्ठ पुत्र श्रीजल टुडू की नियुक्ति प्रधान पद पर हुई थी, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण काबुलियत पट्टा प्राप्त नहीं किया जा सका। इस संबंध में उनके द्वारा कोई भी सबूती कागजात दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व प्रधान के कोई भी पुत्र प्रधान पद पर नियुक्त नहीं हुए है। दोनो पक्ष पूर्व प्रधान के पोता है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम पूरक रूल्स 1950 शिड्यूल V के रूल्स 3 में वर्णित तथ्यों के आलोक में :–

1. उभय पक्ष पूर्व प्रधान के पोता होने के नाते दोनो ही पक्ष अगला उत्तराधिकारी है।

2. अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र के पुत्र है तथा ग्राम में कुडम नायकी के पद पर कार्यरत है किन्तु उन्होंने इस पद से अंचल कार्यालय में त्यागपत्र दे दिया है।

3. उत्तरकारी पूर्व प्रधान के तृतीय पुत्र के पुत्र है। दोनो के समर्थन में मौजा के 16 आना रैयतों द्वारा अलग–अलग समर्थन आवेदन एवं वकालतन उपस्थिति न्यायालय में दिया गया है। 16 आना रैयतों के समर्थन के आधार पर दोनो ही उम्मीदवार प्रधान पद के लिए योग्य है।

4. अभिलेख में उभय पक्षों द्वारा दाखिल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के जन्म तिथि 14.04.1991 तथा उत्तरकारी का जन्म तिथि 20.10.1988 है। जन्म तिथि के आधार पर उत्तरकारी अपीलकर्त्ता से उम्र मे बड़े है। इस आधार पर BBCJ. 1995 (Jhr)

में प्रकाशित माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना के C.W.J.C 12793/93 एवं 4724/94 में पारित आदेश के आलोक में उत्तरकारी को पूर्व प्रधान का नजदीकी (Nearcast) वारिशान माना जा सकता है।

## आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्व प्रधान के नजदीकी वारिशान होने के नाते उन्हें संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। जो सही प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

41 ... 23/2/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 16:59:54 +05:30
Location: 169.254.227.244